

रा.प्रा.पत्र सं. 39/2020

- प्रार्थी बनाम अप्राथी
- 1- कमलेशकुमार पुत्र कान्तिलालजी जाति जैन राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार  
2- विक्रमकुमार पुत्र कान्तिलालजी जाति जैन सिरोही
- सभी उम्र व्यस्क सर्व निवासीयान सनवाडा  
तहसील रेवदर जिला सिरोही  
उपरिथत :-
- 1- प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह आढा  
2- अप्राथी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही



रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज.भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत  
वास्ते सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु

निर्णय

दिनांक 25-11-2020

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट विरुद्ध अप्राथी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु दिनांक 5-7-2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि गांव आमली पटवार क्षेत्र वेलांगरी तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 435 रकबा 0.9500 हैक्टेयर कुल किता एक रकबा 0.9500 हैक्टेयर आई हुई है। वर्णित राजस्व आराजी मे प्रार्थीगण का संयुक्त व अविभक्त हक हिस्सा दर्ज है प्रार्थीगण संयुक्त रूप से वर्णित कृषि भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है जिसकी जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न है। वर्तमान मे जंगली जानवर, नील गायों तथा आवारा मवेशी का काफी आतंक है जिससे प्रार्थीगण की फसल को नुकसान होता है इन आवारा मवेशियों नील गायो तथा जंगली जानवरों से फसल की रक्षा हेतु प्रार्थीगण अपने उक्त खातेदारी कृषि आराजी के चारो तरफ तारबंदी व पत्थरगढी निकालना चाहते है भविष्य मे अन्य खातेदारान के सीमा को लेकर कोई विवाद न रहे जिस हेतु प्रार्थीगण वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा किसी भी अन्य पक्षकार के हितो पर विपरित प्रभाव नही पड़ेगा।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 19 खसरा नंबर 413,435,684 किता 3 रकबा 2.4000 हैक्टेयर व नक्शा ट्रेस प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दिनांक 5-7-2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस क्रमांक 1153 दिनांक 5-7-2019 जारी किया गया। उक्त नोटिस 3-8-2019 को तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। अप्राथी स्टेट पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर देने तथा सीपीसी के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयवधि व्यतीत होने से आगे समय दिया जाना उचित नही होने से अप्राथी स्टेट तहसीलदार सिरोही का जवाब न्यायालय द्वारा आज दिनांक 24-11-2020 को दौराने सुनवाई अप्राथी स्टेट तहसीलदार सिरोही का जवाब बंद किया गया। दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा विचारण प्रकरण मे आज ही अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर मनन किया। विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व उक्त जमाबंदी व नक्शा ट्रेस का अवलोकन कर उस पर भी मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान मे जंगली जानवर, नील गायों तथा आवारा मवेशी का काफी आतंक है जिससे प्रार्थीगण की फसल को नुकसान होता है इन आवारा मवेशियों नील गायो तथा जंगली जानवरों से फसल की रक्षा हेतु प्रार्थीगण अपने उक्त खातेदारी कृषि आराजी के चारो तरफ तारबंदी व पत्थरगढी निकालना चाहते है भविष्य मे अन्य खातेदारान के सीमा को लेकर कोई विवाद न रहे जिस हेतु प्राथीगण वर्णित खातेदारी कृषि भूमि के नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा किसी भी अन्य पक्षकार के

पेज नंबर दो

हितो पर विपरित प्रभाव नही पडेगा । प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा व प्रभावशाली व्यक्ति अतिक्रमण नही करे इस हेतु प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराकर उस पर पत्थरगढी करवाने का विधि सम्मत अधिकार है। अन्यथा प्रकरण मे अन्य समस्याए जन्म लेकर प्रकरण कानूनी अडचने पडने की संभावना रहती है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट 1956 का विरुद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरौही का वास्ते सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी (तहसीलदार सिरौही ) को आदेश दिया जाता है कि मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरौही की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 19 खसरा नंबर 435 रकबा 0.9500 हैक्टेयर का प्रार्थीगण द्वारा आवेदन करने पर सशुल्क नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करें तथा प्रार्थीगण को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थर गढी करवाने हेतु नियमानुसार तहसीलदार सिरौही के कार्यालय मे आवेदन करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

( हंसमुख कुमार )

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही  
उपखण्ड अधिक्ता  
सिरौही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।



लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही  
उपखण्ड अधिक्ता  
सिरौही (राज.)